तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 136/2019 अनवान खेताराम वगैराह बनाम किस्तुराराम वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम व तामील मे जारी हुए
23/10/23	पत्रावली पेश हुई। प्राथीगण के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल, कोई हाजिर नहीं। अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी खेताराम की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 92, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 17 के संयुक्त खातेदारी के अविभाजित खेत मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 207 रकबा 28.03 बीघा, खसरा संख्या 296 रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 657/296 रकबा 86.07 बीघा, खसरा संख्या 320 रकबा 92.16 बीघा व मौजा कपूरडी पटवार हल्का कपूरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 181 रकबा 118.05 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 17 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि है वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का सामूहिक हक व हिस्सा है। विवादित आराजी पर मौके पर भूमि का मौखिक रूप से भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ है, परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य भूमि के मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कायम सेढ़ों को तोड़ने को लेकर झगड़ा रहता है एवं अप्रार्थी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है परन्तु प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त स्थिति का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जा काश्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है व मौके पर नया निर्माण कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने तथा बेचान करने हेतु प्रयासरत है, जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने से सामलाती भूमि में यदि अप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण या बेचान करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन भी	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान या निर्माण करने में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, लिहाजा मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 207 रकबा 28.03 बीघा, खसरा संख्या 296 रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 657/296 रकबा 86.07 बीघा, खसरा संख्या 320 रकबा 92.16 बीघा व मौजा कपूरडी पटवार हल्का कपूरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 181 रकबा 118.05 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में वाद के निर्णय तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात हमने पत्रावली एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का भी सामूहिक हक व हिस्सा है। उपर्युक्त विवेचनोपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है और सुविधा का सुंतलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादों की संख्या में बढोतरी होगी। लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रेकर्ड की जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 207 रकबा 28.03 बीघा, खसरा संख्या 296 रकबा 147.03 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 657/296 रकबा 86.07 बीघा, खसरा संख्या 320 रकबा 92.16 बीघा व मौजा कपूरडी पटवार हल्का कपूरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 181 रकबा 118.05 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर